

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Ajmer

No. 1481

Dated: 16/4/18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.470** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Ajmer, For Widening and Curve Improvement on Existing Road Alignment between Existing chainage 17.350km to 19.600km of Kishangarh-Hanumangarh Mega Highway Project** in Ajmer district falls within jurisdiction of **Chakbeer** Village in Roopangarh tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.470** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 9
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl; AS above

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर

(Full Name and Official Seal of the District Collector)

Signature
जिला कलेक्टर, अजमेर

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक : जिपअ/वन अधिकार/2016/

5931

दिनांक: 29/7/16

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29.07.16 का कार्यवाही विवरण :-

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29.07.2016 को सभागार जिला कलेक्ट्रेट, अजमेर में जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी । बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई :-

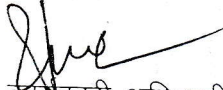
प्रस्ताव संख्या एक :- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड अजमेर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो कि Regarding Schedules Tribes and other Traditional Forest Dwellers (STOTED) Certificate for 4-470 Hectare forest land for Widening and Curve Improvement on Existing Road Alignment between Existing change 17.350 km. to 19.600 km of Kishangarh-Hanumangarh Megha Highway Project. village Chakbeer, Tehsil-Roopangarh, Distt. Ajmer में भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, का प्रमाण पत्र से संबंधित है।

प्रस्ताव संख्या दो :- उप महाप्रबंधक, पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 703, आवासीय योजना प्रगति नगर, कोटडा, अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव जो कि 400 KV JETHANA, AJMER (POWERGRID) GEGAL, AJMER (R.V.P.N.) LINE IS PASSING THROUGH THE PROTECTED FOREST (6.35 HECTARE) AT DEVNAGAR & KANAS VILLAGE IN PUSHKAR TEHSIL .DISTT. AJMER में भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, का प्रमाण पत्र से संबंधित है।

प्रस्ताव संख्या तीन :- सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के पत्रांक 2396 दिनांक 29.07.16 से प्राप्त प्रस्ताव जो कि महाराणा प्रताप स्मारक पर 3डी लेजर शो के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, का प्रमाण पत्र से संबंधित है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड अजमेर, उप महाप्रबंधक, पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 703, आवासीय योजना प्रगति नगर, कोटडा, अजमेर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के तहत

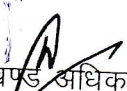
प्रत्यारोपण करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, के प्रमाण पत्र से संबंधित है। उक्त प्रमाण पत्र दिये जाने की चर्चा की गयी। अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गई।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर


उप वन संरक्षक,
अजमेर

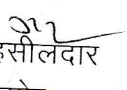

सचिव
अजमेर विकास प्राधिकरण

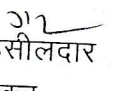

जिला कलेक्टर,
अजमेर

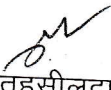

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर


उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

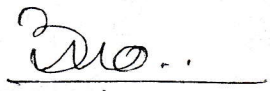

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़


तहसीलदार
अजमेर


तहसीलदार
पुष्कर


तहसीलदार
रूपनगढ़


अधिशायी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जिला खण्ड, अजमेर


उप महाप्रबंधक
पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०
अजमेर

माननीय सदस्यगण

1. सरोज मेघवाल

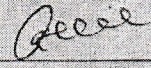
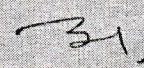
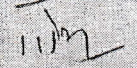
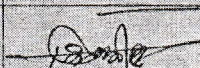
2. शिवरामजील 

3.

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

बैठक उपस्थिति दिनांक 29.07.2016 , सायं 4.00 बजे

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	हस्ताक्षर
1	श्री किशोर कुमार	अति. जिला कलक्टर	
2	श्री कमलराम मीणा	मु.का.अ. जि. परिषद अजमेर	
3	श्री गजेन्द्रसिंह पंवार	स.वन संरक्षक	
4	हरिताम आदित्य	उपखण्ड आयुक्ताधी- अजमेर	
5	उपेन्द्र सिंह	उप महा प्रबंधक वाक्कागड, अजमेर	
6	Jai prakash	SDM AJM	
7	Ramkish Mathur	Xen A.D.A./Secy AJM	
8	सरोज मेघवाल	सदस्य	सरोज मेघवाल
9	Anil Chakran	DEO DCF, Ajmer	
10	G.N. Gupta	EE PWD, Ajmer	
11	विक्रमजी	व.प्र.	
12	सुभाष हेमानी	तहसीलदार अजमेर	
13			

दिनांक 4/4/18 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति रूपनगढ़ की बैठक सम्पन्न हुई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेंगा हाईवे के विस्तार एवं तीखे घुमावो को सुधारने के लिए उपयोग में आने वाली चक बीड़ राजस्व ग्राम की वन भूमी पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेंगा हाईवे के विस्तार एवं तीखे घुमावो को सुधारने के लिए उपयोग में आने वाली चक बीड़ राजस्व ग्राम की वन भूमी की लोकेशन नीचे दर्शायी गयी है।

रोड़ का नाम — किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेंगा हाईवे

स्टोन नं. — (चैनेज 17.350 किलोमीटर से 19.600 किलोमीटर)

खसरा नं. —

आवश्यक प्रस्तावित वनभूमी — 44700 वर्गमीटर (4.47 हैक्ट.)

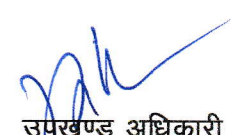
गोंव का नाम — चक बीड़

तहसील — रूपनगढ़

जिला — अजमेर (राजस्थान)


क्षेत्रीय वन अधिकारी
किशनगढ़
किशनगढ़


तहसीलदार
तहसीलदार (भू.अ.)
रूपनगढ़ (अजमेर)


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

दिनांक 6/2/2018 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेंगा हाईवे के विस्तार एवं तीखे घुमावों को सुधारने के लिए उपयोग में आने वाली चक बीड़ राजस्व ग्राम की वन भूमि पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

उक्त किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेंगा हाईवे के विस्तार एवं तीखे घुमावों को सुधारने के लिए ग्राम सभा में वन भूमि की आवश्यकता बताई गई एवं सभी गाँव वालों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में रोड़ बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 154/03 पर इन्द्राज है तथा ग्रामसभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति दर्ज कराई गई।

रोड़ का नाम — किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेंगा हाईवे

स्टोन नं. — (चैनेज 17.350 किलोमीटर से 19.600 किलोमीटर)

खसरा नं. —

आवश्यक प्रस्तावित वनभूमी — 44700 वर्गमीटर (4.47 हैक्ट.)

गाँव का नाम — चक बीड़

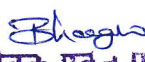
तहसील — रूपनगढ़

जिला — अजमेर (राजस्थान)


सरपंच
ग्राम पंचायत सुरसुरा
प.स. किशनगढ़ (अजमेर)

ग्राम पंचायत

पं. स. रूपनगढ़ (अजमेर)


ग्राम सचिव पदेन साचिव
ग्राम पंचायत सुरसुरा
प.स. किशनगढ़ (अजमेर)

ग्राम पंचायत

पं. स. रूपनगढ़ (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सुरसुरा

पंचायत समिति किशनगढ़ (सिलोरा) जिला-अजमेर राज.

रामेश्वरलाल खीची

सरपंच ग्राम पंचायत सुरसुरा

पूर्व प्रधान, पं.स. सिलोरा, मो. 9829129463

क्रमांक

दिनांक 6/2/2018

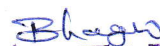
दिनांक 6/2/2018 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें सर्वे निर्माण विभाग की किशनगढ़-हनुमानगढ़ मैदा हाईवे के विस्तार एवं लीखे छुआकों के सुधारने के लिए उपयोग में आने वाली एक बीड राजस्व ग्राम की वन भूमि पर (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई भी दावा लाम्बित अथवा अडियाबीन नहीं है।

उक्त किशनगढ़-हनुमानगढ़ मैदा हाईवे के विस्तार एवं लीखे छुआकों के सुधारने के लिए ग्रामसभा में वन भूमि की आवश्यकता बताई गई एवं सभी गांव वालों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में रोड बनाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्रामसभा के रजिस्टर में आंक 154/03 पर दर्ज है। तथा ग्रामसभा में 50% से अधिक सदस्यों की उपस्थिति दर्ज कराई गई।



सरपंच

ग्राम पंचायत सुरसुरा
प.स. किशनगढ़ (अजमेर)

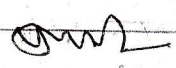
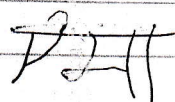
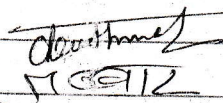
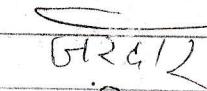
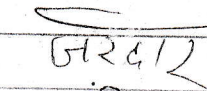
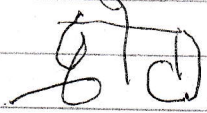

ग्राम सचिव पदम सांचव
ग्राम पंचायत सुरसुरा
प.स. किशनगढ़ (अजमेर)

(154)

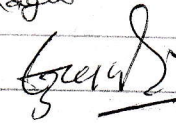
विशेष ग्रामसभा शा.प. सुरसुरा

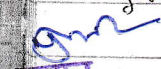
आज दिनांक 6/7/2018 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं श्रीमान विकास अधिकारी के आदेशानुसार ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) वर्ष 2018-19 के निर्माण हेतु ग्रामसभा का आयोजन रखा गया। ग्रामसभा में निम्नानुसार सरकारी, अर्धसरकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए -

उपस्थित जनप्रतिनिधि-

1. श्री रामेश्वर लाल खीची सरपंच 
2. 
3. श्रीमती नारायणी देवी वार्ड पंच नारायणी 
4. श्री प्रेमराम साहिया 
5. श्री चक्रवीर 
6. श्री जलवार 
7. श्री जलवार 
8. श्रीमती दौरी देवी 

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी

1. भाग्यनन्द आर ग्रामसेवक व पीएम अधिकारी Bhagya
2. सुरज सिंह चारण PEO पंच-गिरा 
3. आशा सानोप ग्राम आगवारी सुरसुरा


सरपंच
ग्राम पंचायत सुरसुरा
जयपुर (अजमेर)


Bhagya
ग्राम सेवक पदेन सांवत
ग्राम पंचायत सुरसुरा
जयपुर (अजमेर)

- (19) सार्व रथानोपर 10 ईड पम्प स्थापन कार्य
- (20) बालाजी बड से मेघवाल बस्ती तक पेयजल हेतु पाई लाईन बिधाने का कार्य सुरुपुरा
- (21) किशनगढ़ रोड से मंझरी कालोनी तक पाईप लाईन का
- (22) इमक्षान धार में गठिन निर्माण मय लानधर मय बिधु मोटर पम्पसेट सुरुपुरा
- (23) मेकरलाल भीगा के धर के मेघरलाल दुवार के मकान सी.सी. ब्लाक रोड मय नाली निर्माण
- (24) कुचरा पात्र निर्माण
- (25) रोड लाईट पर स्ट्रीट लाईट व पोल निर्माण कार्य सुरु
- (26) लैजा अर्बिल निर्माण मय कुव्वारा खैर निर्माण सुरुपुरा
- (27) चक्रवर्त निर्माण दो लैजा चौक सुरुपुरा
- (28) हरमाडा रोड से वासलो 6 दाणी तक नाला निर्माण कार्य सुरुपुरा

प्रस्ताव. (3) किशनगढ़ - हनुमानगढ़ में धा लक्षों के वित्साह में भूमि की आवश्यकता पर अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत। निर्णय :- अधिबाधी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला अजमेर द्वारा उत्पन्न प्रस्ताव में भूमि उत्पादोपण करने के वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुमति प्राप्त जाति के अन्य परम्परागत वन परकार हल्का सुरुपुरा में निवास नहीं रहे हैं एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता नहीं रखते अतः वाड विचार विमर्श निर्णय हुआ कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कपनगढ़ जिला - अजमेर के अनापत्ति पत्र क्रमांक 581 दिनांक 29/7/16 एवं श्रीमान जिला कलेक्टर मय अजमेर के पत्र क्रमांक 1 बि.अ. / पंचायत / वन अधिकारी / 20 दिनांक 29/7/2016 के अनापत्ति प्रस्ताव पत्र के आधार पर सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि उक्त मेघा लक्षों पर 1000 हेक्टर उत्पादोपण करे लो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

Bhagis

ग्राम पंचायत सुरुपुरा
किशनगढ़ (अजमेर)

सुरपच

ग्राम पंचायत सुरुपुरा
स. किशनगढ़ (अजमेर)